न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 80/2025 बउनवानी तुलसी देवी जांगिड बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी व तह0 मलारना डूँगर

GCMS No-2025/ 196

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.8.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"माननीय रजिस्ट्रार महोदय राजस्थान महिला आयोग जयपुर के पत्रांक प.6(549)/2025/रामसा/2018/5965 दिनांक 4.3.2025 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना"* अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(01)(88)सूकाअ/2025/929 दिनांक 31.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 5.6.2025 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग से संबंधित होने के कारण उक्त सूचना न्याय अनुभाग से सूचना प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 759 दिनांक 23.6.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.6..2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे पत्रांक 759 दिनांक 23.6.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलन्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकंमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:37:30 IST Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner